

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.-163/2017

संस्थित दिनांक 20.04.2017

फाईलिंग नंबर-6322017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बिरसा
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

प्रेमलाल रनकुहे पिता भरतलाल रनकुहे उम्र 27 साल,
 साकिन जगला थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक 14/02/2018 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 294, 323, 506 भाग-2 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 12.03.2017 को दिन के समय 18:15 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम जगला में फरियादी नारायण रनकुहे के घर में उपहति, हमला कारित करने या कारित करने की तैयारी के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित कर फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी को बांस की लकड़ी से तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट कर दांये हाथ की अंगुली में चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी नारायण रनकुहे ने दिनांक 12.03.17 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 12.03.17 को दिन में करीब 12:00 बजे वह अपनी पत्नि तुलसीबाई के साथ खेत गया था एवं उसका बड़ा लड़का चित्रसेन एवं उसकी माँ जानकीबाई घर में थे। वह अपनी पत्नि के साथ करीब 06:00 बजे खेत से घर वापस आया, तब उसका लड़का चित्रसेन रनकुहे रो रहा था तथा उसी समय गांव का प्रेमलाल रनकुहे उसके घर से निकलकर उसे देखकर रोड तरफ चला गया। तब वह घर के अंदर गया और लड़के चित्रसेन से पूछा क्यों रो रहा है, तब चित्रसेन ने बताया कि वह सामने घर की छपरी में था, तभी प्रेमलाल रनकुहे हाथ में लकड़ी लेकर माँ- बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देकर घर के अंदर घुसकर बोला कि उसका बाप नारायण कहाँ है, वह जिस बकरी को खरीदा था

और पैसा दे दिया था, उसके बाप ने उस बकरी को उसे नहीं दिया और पैसे वापस कर दिया कहकर गंदी-गंदी गालियों देने लगा। गाली देने से उसने मना किया तो उसे ज्यादा बात करता है कहकर हाथ में रखे बांस की लकड़ी से उसके दांये हाथ की अंगुली के उपर मारकर नीचे गिरा दिया और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगा, जिससे उसके दाहिने हाथ की अंगुली में चोट आकर गले के पास खरोंच आई, जिससे वह चिल्लाया, तब उसकी दादी जानकीबाई एवं पड़ोस के गेंदलाल सूर्यवंशी, कुलदीप मेरावी आये और बीच-बचाव किये। वह चित्रसेन को लेकर थाना रिपोर्ट गया। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान जप्ती, गवाहों के कथन, मौका-नक्शा, अभिरक्षा पत्रक, न्यायालय उपस्थिति पत्रक की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र क्रमांक 50/17 दिनांक 19.04.17 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 294, 323, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत चित्रसेन के पिता नारायण द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिया गया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग-2 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 12.03.2017 को दिन के समय 18:15 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम जगला में फरियादी नारायण रनकुहे के घर में उपहति, हमला कारित करने या कारित करने की तैयारी के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

सकारण व निष्कर्ष :-

05— परिवादी नारायण अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है जो उसका भतीजा है। घटना होली के समय ग्राम जगला की है। घटना के समय उसके लड़के का आरोपी से मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने घर चला गया। फिर लोगों के कहने पर उसने घटना के दिन रात्रि में आरोपी के विरुद्ध थाना बिरसा में मौखिक शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेख की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 12.03.2017 को वह दिन के करीब 12:00 बजे अपनी

पत्नि के साथ खेत गया था और उसका लड़का चित्रसेन मॉ जानकीबाई के साथ घर में था, शाम करीब 6:00 बजे जब वह घर वापस आया, तो उसका लड़का रो रहा था, तभी आरोपी उसके घर से निकलकर जा रहा था, उसके लड़के ने बताया कि आरोपी हाथ में लकड़ी लेकर मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए घर में घुसा और बकरी की बात पर हाथ में रखे बांस की लकड़ी से उसके दाहिने हाथ की अंगुली पर मारा तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट किया, उसके लड़के ने बताया था कि झगड़े में दादी एवं पड़ौस के लोगों ने बीच-बचाव किया एवं आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए घर से निकलकर चला गया, उसने आरोपी से पूछा तो उसने उसे भी मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देकर जान से मारने की धमकी दी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.02 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

06— परिवारी नारायण अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी उसके घर नहीं आया था और विवाद घर के बाहर हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

07— साक्षी चित्रसेन अ.सा.02 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है जो उसका भाई है। घटना तीन-चार माह पूर्व ग्राम जगला की है। घटना के समय उसका आरोपी से मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने घर चला गया, फिर पिताजी के आने पर लोगों के कहने पर उन्होंने घटना के दिन रात्रि में आरोपी के विरुद्ध थाना बिरसा में मौखिक शिकायत की थी। पुलिस को उसने घटनास्थल नहीं बताया था, परंतु मौका-नक्शा प्रपी-03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 12.03.17 को वह दिन के करीब 12:00 बजे दादी जानकीबाई के साथ घर में था, तभी आरोपी हाथ में लकड़ी लेकर मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए घर में घुसा और बकरी की बात पर हाथ में रखे बांस की लकड़ी से उसके दाहिने हाथ की अंगुली पर मार दिया तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट की, झगड़े में दादी एवं पड़ौस के लोगों ने बीच-बचाव किया एवं आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए घर से निकलकर चला गया, उसके पिता तथा मॉ के आने पर उसने उन्हें घटना के संबंध में बताया और फिर पिता के साथ थाना जाकर रिपोर्ट की। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी.04 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन

कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी उनके घर नहीं आया था और विवाद घर के बाहर हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उनका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

08— फरियादी नारायण अ.सा.01 एवं साक्षी चित्रसेन अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी उनके घर नहीं आया था और विवाद घर के बाहर हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उनका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। साक्षी चित्रसेन अ.सा.02 घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी नारायण रनकुहे के घर में उपहति, हमला कारित करने या कारित करने की तैयारी के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। अतः आरोपी प्रेमलाल रनकुहे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही /—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला बालाघाट

सही /—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला बालाघाट